न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या :– 331/2016 निर्णय दिनांक:– 7.11.2024

उनवानी प्रार्थना पत्र :–

1. लेखराज पुत्र पोखर जाति जाट उम्र बालिग निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज)
2. जयराम पुत्र पोखर जाति जाट उम्र बालिग निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज)
3. विनय कुमार पुत्र पोखर जाति जाट उम्र बालिग निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज)
4. धर्मसिंह पुत्र पोखर जाति जाट उम्र बालिग निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज)
5. मोहनी पुत्री पोखर जाति जाट उम्र बालिग निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज)
6. सोहनी पुत्री पोखर जाति जाट उम्र बालिग निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज)
7. मनभर पुत्री पोखर जाति जाट उम्र बालिग निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज)
8. सरिता पुत्री पोखर जाति जाट उम्र बालिग निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज)
9. बदाम बेवा पोखर जाति जाट उम्र बालिग निवासी दूनी तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)
10. श्योराज पुत्र लाला जाति जाट उम्र बालिग निवासी यूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज)
11. हंसराज पुत्र लाला जाति जाट उम्र बालिग निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज)
12. लाड पुत्री लाला जाति जाट उम्र बालिग निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज)
13. कमला पुत्री लाला जाति जाट उम्र बालिग निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

– **प्रार्थीगण** –

बनाम

1. प्रेमचंद पुत्र श्री रामकिशन जाति जाट उम्र बालिग निवासी दूनी तहसील दूनी जिला ट़ोंक (राज.)
2. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा दूनी जिला टॉक (राज)
3. तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला–टोंक (राज.)

– अप्रार्थीगण –

– उपस्थिति –

श्री रामनिवास तुनगारिया
अधिवक्ता प्रार्थीगण

एकपक्षीय कार्यवाही
अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1

7.11.2024

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, दुरुस्ती इन्द्राज स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 ए, 188, 209
प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय/आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 का का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है :–

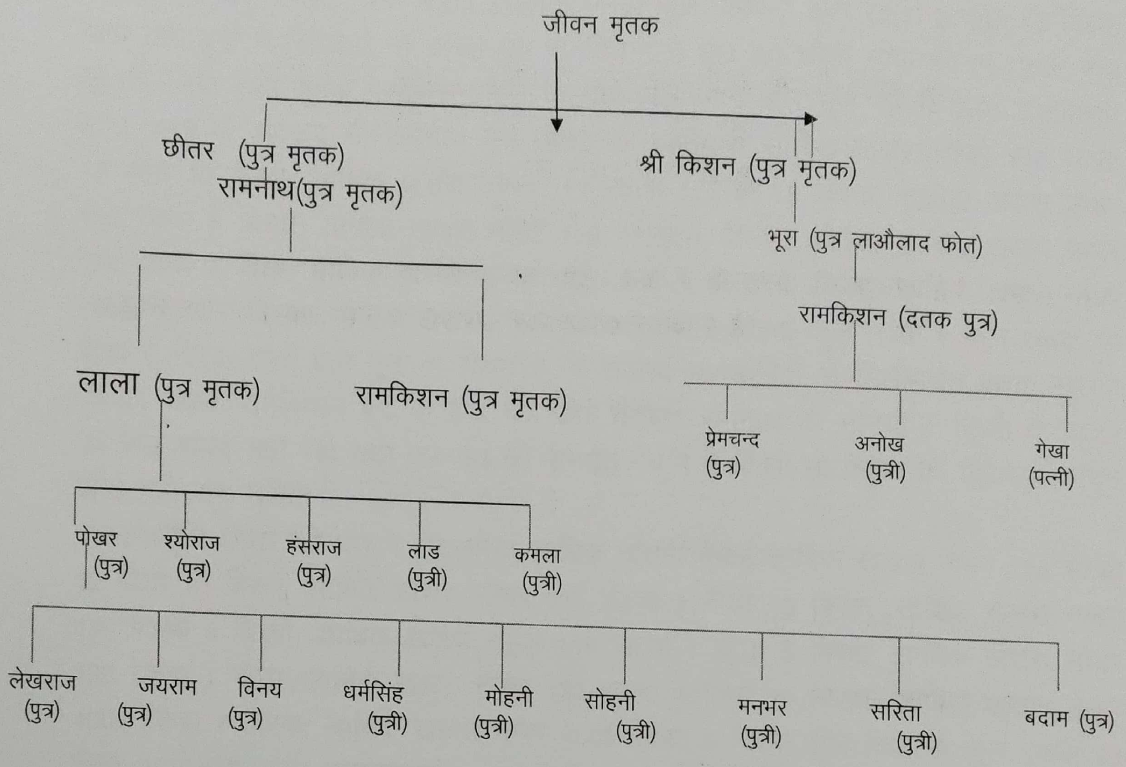

उपरोक्त सजरा अनुसार जीवन के दो पुत्र क्रमशः छीतर, व श्रीकिशन हुए तथा छीतर के एक पुत्र रामनाथ, व श्रीकिशन के भी एक पुत्र भूरा हुआ। रामनाथ के दो पुत्र क्रमशः लाला व रामकिशन हुए तथा लाला के तीन पुत्र क्रमशः पोखर, श्योराज, हंसराज व दो पुत्रियां लाड तथा कमला तथा पोखर के वादीगण नं. 1 ता 9 वारिस हुए। वहीं भूरा के कोई औलाद नहीं होने से भूरा ने अपने जीवनकाल में ही रामनाथ के दो पुत्र लाला व रामकिशन में से रामकिशन को दत्तक पुत्र ग्रहण कर अपना दत्तक पुत्र स्वीकार कर लिया तथा रामकिशन दत्तक होने के बाद भूरा की मृत्यु होने के बाद भूरा की विरासत भी प्राप्त कर ली। रामकिशन के एक पुत्र प्रेमचंद अप्रार्थी नं. 1. एक पुत्री अनोखी हुई। भूरा का दत्तक पुत्र रामकिशन व रामकिशन की मृत्यु के बाद रामकिशन के पुत्र अप्रार्थी नं. 1 प्रेमचंद का रामनाथ की सम्पत्ति/भूमि से कोई लेना–देना व सबंध नहीं रहा। रामनाथ पुत्र छीतर की खातेदारी भूमि साबिक खसरा नम्बर 116 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 117 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 118 रकबा 8 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 119 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 120 रकबा 1 बीघा, साबिक खसरा नम्बर 182 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 4008 रकबा 7 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 4009 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम दूनी पटवार हल्का दूनी तहसील देवली हाल तहसील दूनी जिला टोंक

7.11.2024

Scanned with OKEN Scanner

.जस्थान में स्थित है, भूरा पुत्र श्रीकिशना की खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नम्बर 3991 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 3992 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम दूनी पटवार हल्का दूनी तहसील देवली हाल तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। भूरा पुत्र श्रीकिशना के कोई औलाद नहीं होने से रामनाथ पुत्र छीतर के दो पुत्र क्रमशः लाला व रामकिशन में से रामकिशन को भूरा ने अपने जीवनकाल में ही सामाजिक रिति–रिवाज व प्रथा अनुसार गौद ले लिया था तथा रामकिशन को अपना दत्तक पुत्र मान लिया था। भूरा ने रामकिशन को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार कर लिया था। भूरा पुत्र श्रीकिशन की मृत्यु होने पर भूरा की खातेदारी भूमि साबिक खसरा नम्बर 3991 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 3992 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम दूनी में स्थित है, में दत्तक पुत्र रामकिशन ने भूरा का फौती नामान्तकरण अपने नाम खुलवा लिया तथा मृतक रामकिशन भूरा के गौद चले जाने और भूरा की विरासत रामकिशन प्राप्त करने के बावजूद भी रामनाथ पुत्र छीतर की खातेदारी साबिक खसरा नम्बर 116 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 117 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 118 रकबा 8 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 119 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 120 रकबा 1 बीघा, साबिक खसरा नम्बर 182 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 4008 रकबा 7 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 4009 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम दूनी में स्थित है, में राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके खुलवा लिया। जबकि रामकिशन भूरा के गौद चले जाने के बाद रामनाथ की भूमियो से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा तथा रामनाथ की सम्पत्ति/भूमि में किसी भी प्रकार की विरासत कानून प्राप्त नही कर सकता।

रामनाथ पुत्र छीतर की दौराने सेटलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर साबिक खसरा नम्बर 116 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 117 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 118 रकबा 8 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 119 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 120 रकबा 1 बीघा, साबिक खसरा नम्बर 182 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 4008 रकबा 7 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 4009 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 19 बीघा 3 के नये हाल खसरा नम्बर 177 रकबा 1.70 है0, खसरा नम्बर 178 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 179 रकबा 1.01 है0, खसरा नम्बर 183 रकबा 1.28 है0, खसरा नम्बर 186 रकबा 0.37है, खसरा नम्बर 187 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 188 रकबा 0.43 है0, खसरा नम्बर 189 रकबा 0.45 है0, खसरा नम्बर 5268 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 5269 रकबा 0.01 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 5.36 है0 तथा भूरा पुत्र श्रीकिशना की खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नम्बर 3991 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 3992 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा के नये हाल खसरा नम्बर 5265 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 5266 रकबा 1.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.10 है0 बनाये गये। अप्रार्थी नं. 1 के पिता रामकिशन जब भूरा के गौद चले गये थे। उस समय से ही उक्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 116, 117, 118, 119, 120, 182, 4008, 4009 जिनके हाल खसरा नम्बर 177, 178, 179, 183, 186, 187, 188, 189, 5268, 5269 की भूमि से कोई संबंध नहीं रहा और उक्त्त भूमि में रामकिशन के गौद चले जाने के बाद से ही उक्त सम्पूर्ण भूमि पर लाला का व लाला की मृत्यु उपरान्त वादीगण नं. 1 ता 9 के पिता/पति पोखर तथा पोखर की मृत्यु उपरान्त प्रार्थीगण नं. 1 ता 9 तथा प्रार्थीगण नं. 10 ता 13 काबिज–काश्त होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है तथा अप्रार्थी नं. 1 के पिता रामकिशन जब भूरा के गौद चला गया उस समय से ही भूरा की खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नम्बर 3991, 3992 जिसके हाल खसरा नम्बर 5265, 5266 कुल किता 2 कुल रकबा 1.10 है0 भूमि पर काबिज काश्त रहा तथा भूरा की मृत्यु उपरान्त उक्त भूमि में

7.11.2024

Scanned with OKEN Scanner

फौती नामान्तकरण खुलवाकर विरासत प्राप्त की तथा काश्त करता रहा तथा रामकिशन की मृत्यु उपरान्त उक्त भूमि में अप्रार्थी नं. 1 व अप्रार्थी नं. 1 की बहिन अनोख, माता गेखा का फौती नामान्तकरण खुलवाकर काबिज–काश्त रहे। तत्पश्चात गेखा की मृत्यु हो गई तथा उक्त भूमि में अप्रार्थी नं. 1 ने अपनी बहिन अनोख से उसके हिस्से की भूमि को जरिए हकत्याग अपने नाम करवा लगवा ली तथा उक्त भूमि पर काबिज काश्त रहा तथा आज भी उक्त भूमि खसरा नम्बर 5265, 5266 पर प्रतिवादी नं. 1 का कब्जा–काश्त है। अप्रार्थी नं. 1 का पिता रामकिशन शुरू से ही चालाक किस्म का व्यक्ति था। जो भूरा के गौद जाने व भूरा की भूमि में विरासत प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थीगण के पूर्वज रामनाथ की आराजी साबिक खसरा नम्बर 116, 117, 118, 119, 120, 182, 4008, 4009 में राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर उक्त भूमि में 1/2 हिस्से की भूमि का नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड में अपने नाम खुलवा लिया। जो कानूनन गलत तथा नियमो के विपरीत था। अर्थात् कानूनन जो व्यक्ति जहां से गौद चला जाता वहां की सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का हक प्राप्त करने का अधिकार नहीं रह जाता है तथा जहां गौद जाता है वहां की सम्पत्तियो में हक, अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी होता जाता है। इसी प्रकार रामकिशन भूरा के गौद चले जाने के कारण रामनाथ की सम्पत्ति में उसका कोई हक व अधिकार नहीं रहा और केवल मात्र. रामकिशन का दत्तक पिता भूरा की सम्पत्ति में ही रामकिशन का हक व अधिकार रहा है तथा रामकिशन की मृत्यु के बाद उत्तरोत्तर रूप से उसके वारिसान अप्रार्थी नं. 1 का रामनाथ की सम्पत्ति के बजाय भूरा की सम्पत्ति में अधिकार चला आ रहा हैं अप्रार्थी नं. 1 का रामनाथ की सम्पत्ति व प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि में कोई हक, अधिकार नहीं रहा है। प्रार्थीगण के पूर्वज रामनाथ की भूमि साबिक खसरा नम्बर 116, 117, 118, 119, 120, 182, 4008, 4009 जिनके हाल खसरा नम्बर 177, 178, 179, 183, 186, 187, 188, 189, 5268, 5269 की भूमि में अप्रार्थी नं. 1 के पिता रामकिशन ने राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत करके भूरा पुत्र श्रीकिशन के गौद चले जाने तथा भूरा की भूमि साबिक खसरा नम्बर 3991, 3992 जिसके हाल खसरा नम्बर 5265, 5266 में विरासत प्राप्त करने के बावजूद भी उक्त भूमि में अपना फौती नामान्तकरण 1/2 हिस्से करवा लिया। तत्पश्चात् रामकिशन की मृत्यु होने पर अप्रार्थी नं. 1 ने उक्त भूमि में अपने नाम फौती नामान्तकरण दर्ज करवा लिया। उक्त भूमि हाल खसरा नम्बर 177, 178, 179, 183, 186, 187, 188, 189, 5268, 5269 में अप्रार्थी नं. 1 का 1/2 हिस्सा इन्द्राज होने से इसका फायदा उठाते हुए उक्त भूमि में 1/2 हिस्से की हद तक भूमि में प्रार्थीगण की हैसियत को चेलेंज करता है तथा उक्त भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे–काश्त व उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न करता है तथा प्रार्थीगण को उक्त सम्पूर्ण हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा रहता है तथा अप्रार्थी नं. 1 भूमि को बेचान करने की धमकियां देता हैं। जिसका कि अप्रार्थी नं. 1 को कोई विधिक प्राप्त नहीं है। क्योंकि उक्त भूमि के सम्पूर्ण भू–भाग में रामकिशन व रामकिशन की मृत्यु के बाद अप्रार्थी नं. 1 का कोई लेना–देना व सबंध नही रहा है। जबकि आज भी प्रार्थीगण सम्पूर्ण भूमि पर काबिज है तथा काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि हाल खसरा नम्बर 177, 178, 179, 183, 186, 187, 188, 189, 5268, 5269 कुल किता 10 कुल रकबा 5.36 हे0 में से ख. नं. 177 रकबा 1.70 हे0 में से 0.07 हे0 भूमि अवाप्ति से सिंचाई विभाग बीसलपुर परियोजना देवली के नाम दर्ज हो गई। उक्त भूमि हाल खसरा नम्बर हाल खसरा नम्बर 177, 178, 179, 183, 186, 187, 188, 189, 5268, 5269 कुल किता 10 कुल रकबा 5.19 हे0 में प्रार्थीगण का 1/2 का हिस्सा है तथा शेष 1/2 हिस्सा अप्रार्थीगण नं. 1 के 1/2 हिस्से की भूमि को प्रार्थीगण ने अपने नाम करवाने के लिए कई बार कहा लेकिन अप्रार्थीगण में नं. 1 तैयार नहीं हुआ और अप्रार्थी नं. 1 ने ऐलानिया कहा कि इस भूमि को किसी अन्य को बेचान कर कर बेदखल कर दूंगा। इस कारण प्रार्थीगण को हाल खसरा नम्बर 177 रकबा 1.60 हे0, खसंरा नम्बर 178 रकबा 0.09 हे0, खसरा नम्बर 179 रकबा 0.94 हे0, खसरा नम्बर 183

7.11.2024

Scanned with OKEN Scanner

कबा 1.28 है0, खसरा नम्बर 186 रकबा 0.37 है0, खसरा नम्बर 187 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 188 रकबा 0.43 है0, खसरा नम्बर 189 रकबा 0.45 है0, खसरा नम्बर 5268 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 5269 रकबा 0.01 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 5.19 है0 सम्पूर्ण में प्रार्थीगण के 1/2 हिस्से की भूमि के अलावा शेष 1/2 हिस्से की भूमि जो अप्रार्थी नं. 1 के नाम इन्द्राज है, में उद्घोषणा करवाकर खातेदारी प्राप्त करने तथा 1/2 हिस्से की हद तक भूमि में से अप्रार्थी नं. 1 के नाम के इन्द्राज को दुरूस्ती कर अप्रार्थी नं. 1 के नाम 1/2 हिस्से की हद से हटाया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित करवाया जाना एवं अप्रार्थी नं. 1 उक्त भूमि के प्रार्थीगण के कब्जे–काश्त में बाधा उत्पन्न नही करे, आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करने तथा आराजी को किसी भी प्रकार से किसी के भी हक में हस्तान्तरण नहीं करने हेतु अप्रार्थी नं. 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि अप्रार्थी नं. 1 को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबंद किया जावे कि वह आराजीयात हाल खाता संख्या 1367 हाल खसरा नम्बर 177 रकबा 1.60 है0 खसरा नम्बर 178 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 179 रकबा 0.94 है0, खसरा नम्बर 183 रकबा 1.28है, खसरा नम्बर 186 खसरा नम्बर रकबा 0.37है, खसरा नम्बर 187 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 188 रकबा 0.43है, खसरा नम्बर 189 रकबा 0.45है, खसरा नम्बर 5268 रकबा 0.01 है, खसरा नम्बर 5269 रकबा 0.01 है0 गुल कित्ता 10 कुल रकबा 5.19 है0 जो वाके ग्राम दूनी पटवार हल्का पूनी हाल तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है, में वह स्वयं जरिए एजेन्ट, नौकर–चाकर या अन्य किसी के माध्यम से वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे, भूमि को किसी अन्य के नाम रहन, दान, बेचान, वसीयत या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करे, वादीगण को जबरन बेदखल नहीं करे तथा पाबंद रहे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्राथीगण संख्या 1 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 3 का कोई उज्र नहीं होने से इनके बारे में विचार नहीं किया गया।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र अनुसार निर्णय करते हुए अप्रार्थीगण को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए आवश्यक तीनो बिन्दुओ प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दूओ पर निर्णय करना आवश्यक हो जाता है।

प्रथम दृष्टया प्रकरण :– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबंदी सम्वत 2033–36 वाके ग्राम दूनी में लाला रामकिशन पुत्र रामनाथ जाट के नाम खसरा नम्बर 116 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 117 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 118 रकबा 8 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 119 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 120 रकबा 1 बीघा, साबिक खसरा नम्बर 182 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 4008 रकबा 7 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 4009 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा दर्ज है। मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65 अनुसार साबिक खसरा नम्बर 116 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 117 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 118 रकबा 8 बिस्वा,

7.11.2024

Scanned with OKEN Scanner

साबिक खसरा नम्बर 119 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 120 रकबा 1 बीघा, साबिक खसरा नम्बर 182 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 4008 रकबा 7 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 4009 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 19 बीघा 3 के नये हाल खसरा नम्बर 177 रकबा 1.70 है0, खसरा नम्बर 178 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 179 रकबा 1.01 है0, खसरा नम्बर 183 रकबा 1.28 है0, खसरा नम्बर 186 रकबा 0.37 है0, खसरा नम्बर 187 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 188 रकबा 0.43 है0, खसरा नम्बर 189 रकबा 0.45 है0, खसरा नम्बर 5268 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 5269 रकबा 0.01 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 5.36 है0 तथा भूरा पुत्र श्रीकिशना की खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नम्बर 3991 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 3992 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा के नये हाल खसरा नम्बर 5265 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 5266 रकबा 1.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.10 है0 बनाये गये दर्शित है। जमाबन्दी सम्वत 2046– व जमाबंदी सम्वत 2050–53 व 2056–61 में पोखर, श्योराज हंसराज पुत्रियां लाड कमला पि0 लाला जमनी बेवा लाला 1/2 रामकिशन पुत्र रामनाथ जाट सा0 देह खातेदार खसरा नम्बर 177 रकबा 1.70 है0, खसरा नम्बर 178 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 179 रकबा 1.01 है0, खसरा नम्बर 183 रकबा 1.28 है0, खसरा नम्बर 186 रकबा 0.37 है0, खसरा नम्बर 187 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 188 रकबा 0.43 है0, खसरा नम्बर 189 रकबा 0.45 है0, खसरा नम्बर 5268 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 5269 रकबा 0.01 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 5.36 है0 दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2062–65 लेखराज जयराज विनयकुमार धर्मसिंह पुत्र मोहनी सोहनी मनभर सरीता पुत्रियां बदाम देवी बेवा पोखर व श्योराज हंसराज पुत्रियां लाड कमला पि. लाला हि. 1/2 प्रेमचन्द पुत्र रामकिशन अनोख पुत्री रामकिशन हि. 1/2 कोम जाट का अंकन है। जमाबन्दी सम्वत 2066–69, 2070–73 में लेखराज जयराज विनयकुमार धर्मसिंह पुत्र मोहनी सोहनी मनभर सरीता पुत्रियां बदाम देवी बेवा पोखर व श्योराज हंसराज पुत्रियां लाड कमला पि. लाला हि. 1/2 प्रेमचन्द पुत्र रामकिशन हि. 1/2 कोम जाट का अंकन है। जमाबन्दी सम्वत 2029–32 रामकिशन पुत्र भूरा कोम जाट सा0 देह खातेदार के नाम 3991 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, साबिक खसरा नम्बर 3992 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2046 व 2050–53 रामकिशन पुत्र भूरा कोम जाट सा0 देह खातेदार के नाम ख. नं. 5265 रकबा 0.02 है0, ख. नं. 5266 रकबा 1.08 है0 कुल किता 1.10 है0 दर्ज रिकॉर्ड है। जंमाबन्दी सम्वत 2058 से 61 में प्रेमचन्द पुत्र अनोख पुत्री गेखा बैवाा रामकिशन कोम जाट सा. देह खातेदार के नाम खाता संख्या 581 ख. नं. 5265 रकबा 0.02 है0, ख. नं. 5266 रकबा 1.08 है0 कुल किता 1.10 है0 व खाता संख्या 582 में ख. नं. 2022 रकबा 0.34 है0, ख. नं. 2912 रकबा 0.06 है0, ख. नं. 5267 रकबा 0.32 है0, ख. नं. 5271 रकबा 0.35 है0, ख. नं. 5272 रकबा 0.09 है0, ख. नं. 5274 रकबा 2.22 है0, दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 690 में प्रेमचन्द पुत्र रामकिशन कोम जाट सा. देह खातेदार के नाम ख. नं. 2022 रकबा 0.34 है0, ख. नं. 2912 रकबा 0.06 है0, ख. नं. 5265 रकबा 0.02 है0 व ख. नं. 5266 रकबा 1.08 है0, ख. नं. 5267 रकबा 0.32 है0, ख. नं. 5271 रकबा 0.35 है0, ख. नं. 5272 रकबा 0.09 है0, ख. नं. 5274 रकबा 2.22 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 4.49 है0 दर्ज रिकॉर्ड है।

उक्त राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन में रामकिशन पुत्र रामनाथ व रामकिशन पुत्र भूरा का नाम दर्ज है। पत्रावली पर इस तरह का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित हो सके रामकिशन, रामनाथ का पुत्र था जो कि भूरा पुत्र श्रीकिशन के गोद चला गया जिससे भूरा की खातेदारी की उक्त वर्णित साबिक व हाल खातेदारी भूमि का वारिस रामकिशन हो गया। प्रार्थीगण ने यह भी साबित नहीं किया कि सम्पूर्ण विवादित आराजी पर

7.11.2024

Scanned with OKEN Scanner

ार्थीगण का ही कब्जाकाश्त है, रामकिशन का नहीं है। इस तरह के सम्पूर्ण विवादित बिन्दूओ का समाधान नियमित वाद में साक्ष्य, सबूदात व कानून के माध्यम से होना है। वर्तमान स्थिति में रामकिशन राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार की हैसियत रखने के कारण अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करना न्यायहित में उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रथम दृष्टया बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होने से इस बिन्दू को प्रार्थीगण के पक्ष में अस्वीकार किया जाता है।

सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षतिः– प्रथम दृष्टया प्रकरण में स्पष्ट तौर पर जाहिर हो चुका है कि पूर्व में उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण के पूर्वजो के नाम रही है और वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 खातेदार है । अतः सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में है। चूंकि वर्तमान में विवादित भूमि में अप्रार्थीगण संख्या 1 खातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड होने के कारण, यदि उसको पाबन्द कर दिया जाता है तो अपूरणीय क्षति केवल अप्रार्थीगण संख्या 1 को ही होगी। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी अप्रार्थीगण संख्या 1 के पक्ष में है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विवादित आराजी मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बाबत स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है।

आदेश

अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निर्णित हो चुके है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 07.11.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner